संख्या-15/2017/क0नि0-4-1344/11-2017-300(27)/17

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

कर एवं निबन्धन अनु0-4 **लखनऊ: दिनाँक 21 नवम्बर, 2017**

विषयः-वाणिज्य कर विभाग में बी0एस0एन0एल0 को लीज लाइन अपग्रेडेशन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवशेष धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-आई0टी0-लीजलाइन कनेक्टिविटी अपग्रेडेशन-(2017-18)/1211/वाणिज्य कर, दिनाँक-24.10.2017 एवं शासनादेश संख्या क0नि0-4- 385/11-2017-300(27)/17, दिनांक-04 मई, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वाणिज्य कर विभाग की 116 Locations के MPLS MNS Circuits के अपग्रेडेशन हेतु अवशेष धनराशि रूपया-53,84,272/-(रूपया-तिरपन लाख चौरासी हजार दो सौ बहत्तर मात्र) एवं 03 सर्किटों के अवशेष धनराशि रूपया-20,72,424/-(रूपया-बीस लाख बहत्तर हजार चार सौ चैबीस मात्र) अर्थात कुल धनराशि रूपया-74,56,696/-(रूपया-चौहत्तर लाख छप्पन हजार छः सौ छियानवे मात्र) की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में अनुदान सं0-89 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-13-टेलीफोन पर व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

---2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-15/2017/क0नि0-4-1344(1)/11-2017 तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0 इलाहबाद।

2- महालेखाकार(लेखापरीक्षा) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

5- एडीशनल कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

8- गार्ड बुक/समीक्षा अधिकारी (बजट)।

आज्ञा से

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।